

भारतीय सांस्कृतिक बहुलता और पूर्वोत्तर की भाषाएं

प्रो. हितेंद्र कुमार मिश्र

भारत एक बहुलतावादी देश है, जो उसके विविध संदर्भों में पाया जाता है। भारत में यह बहुलता जितने अधिक क्षेत्रों एवं परिमाण में पायी जाती है, विश्व के शायद ही किसी देश में पायी जाती होगी। जाति, धर्म, भाषा, भूगोल, पर्यावरण, आचार-विचार, रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान, पर्व-त्योहार, लोक- विश्वास, कद-काठी, नाक-नक्ष, रंग-रूप प्रत्येक क्षेत्र में यह बहुलता सहज ही देखी जा सकती है। यह भारत ही है, जहाँ एक साथ इतनी ऋतुएं पायी जाती हैं। एक ही दिन में इसका एक कोना गर्म तो दूसरा ठंडा होता है। भारत की यह बहुलता ही उसका सौंदर्य है और उसकी महानता का कारक भी। हमारा भारत वह उद्यान है जहाँ विश्व की सर्वाधिक प्रजातियों के पुष्प पल्लवित और पुष्पित होते हैं।

भारत की इस बहुलता के केंद्र में यहाँ की संस्कृति प्रमुख रूप से जिम्मेदार रही है, जो विश्व के दूसरे देशों से अलग है। सदियों से हमारे जीवन का विकास सहजीविता और सहधर्मिता के आधार पर हुआ है। सभ्यता के विकासक्रम में सदियों से हमारी इसी विशेषता ने हमें समृद्ध किया है। आज के समय में जनसंख्या को आधार बनाकर अगर बात की जाय तो स्पष्ट है कि हम विश्व के द्वितीय स्थानिक देश हैं। सबसे बड़ी जनसंख्या का देश होने के बावजूद चीन में भारत जैसी बहुलता नहीं है। इसका मूल कारण यहाँ की भौगोलिक स्थिति रही है। भारत में सदियों से अनेक बाहरी जातियों, समूहों का आगमन होता रहा है और अलग-अलग समय और कारणों से भारतभूमि पर आई हुई ये जातियाँ या समूह थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ यहाँ के होकर रह गए। वर्तमान में ये सभी भारत के मूल नागरिक हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति पर अगर ध्यान दिया जाय तो यह देश लगभग तीन दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है और उत्तर का अधिकांश पर्वत से आच्छादित है। सदियों पूर्व आवागमन का सुगम मार्ग स्थलमार्ग ही रहा है। इस कारण बाहर के देशों से भारत में आगमन का मार्ग अधिकांशतः पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत अथवा पूर्वोत्तर सीमा प्रांत रहा है। इनमें भी पश्चिमोत्तर सीमा से आने वाले जनसमूहों का विस्तार मैदानी क्षेत्रों में सहजता एवं सरलता पूर्वक हुआ लेकिन पूर्वोत्तर सीमा से आने वाले जनसमूहों के साथ ऐसा नहीं हुआ। इतिहासकारों की मानें तो भारत के आज के बहुलतावादी स्वरूप के निर्माण में अलग-अलग समय में

लगभग अनेक जातीय समूहों का आगमन केवल भारत में अलग-अलग समयों में हुआ है। प्राचीनकाल से भारत में आने वाले इन प्रवासियों का समय लगभग 6000 ईसा पूर्व से 1000 ई. तक रहा है। इन जातीय समूहों में सबसे अंतिम आगमन मुस्लिम समुदाय का रहा है। भारत में इस्लाम का आगमन सातवीं शताब्दी ईस्वी के आसपास बताया जाता है।

भारत में इन जातीय समूहों के आगमन के व्यापक कारणों में यहाँ की उपजाऊ जमीन और जलवायु के साथ-साथ यहाँ की संस्कृति में संस्कारतः सहजीविता और सहधर्मिता की भावना रही है। भारतीय सांस्कृतिक स्वरूप की यह मौलिकता है कि यहाँ के लोगों ने विजातीयता के कारण किसी जाति या समूह को बाहर जाने के लिए विवश नहीं किया। यहाँ तक कि सबसे अंतिम समय में अंग्रेजी सत्ता का विस्थापन हुआ किंतु उनका इसाई समुदाय आज भी हमारे साथ समान अधिकार और सम्मान से भारतवासी है। हम सभी धर्मों एवं समुदायों के प्रति समान सम्मान एवं आदर करने के अभ्यस्त हैं। जाति, धर्म, एवं भाषा के स्तर पर पाए जाने वाले वैविध्य के बावजूद भारत में सबके लिए समान सम्मान का भाव यहाँ के संस्कारों में व्याप्त है। भारतीय संस्कृति की यह संस्कारगत विशेषता उसके संविधान में भी सुरक्षित है। हमारे देश का संविधान देश में रहने वाले इन वैविध्यपूर्ण समूहों के जाति, धर्म, भाषा को समान रूप से सम्मान प्रदान करता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14-17 समानता, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता के लिए आश्वस्त करता है। संविधान के पूर्व एवं पश्चात भारत के राजनीतिक स्वरूप में विविध धर्मों एवं समुदायों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार इसका वैशिष्ट्य है।

भारतीय बहुलता के परिप्रेक्ष्य में भारत के भाषाई स्वरूप को भी रेखांकित किया जाना चाहिए। भाषा के स्तर पर ऐसी विविधता के मूल में भी उपरोक्त वर्णित कारण ही सर्वप्रमुख हैं। वस्तुतः भाषा वह माध्यम है जिससे एक समाज विशेष के लोग आपस में विचार-व्यवहार करते हैं। एक समाज विशेष की इसकी सीमा ही इसमें वैविध्य की जननी है। समाज एक प्रकार के जीवन व्यवहार के लोगों का समूह होता है और जब भारत में सदियों से अपने-अपने वैशिष्ट्य के साथ मानव समूहों का आगमन हुआ तो यह वैविध्य समूह के साथ-साथ भाषिक स्तर पर भी होना स्वाभाविक ही है। भाषा वैज्ञानिकों ने व्यवहार के स्वरूप के आधार पर भाषा को राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा जैसे भेदों में विभाजित किया है और व्यवहार की व्यापकता के आधार पर भाषा, विभाषा और बोली जैसे उपभेदों को निश्चित किया है। भाषा, विभाषा और बोली के विभाजन के बीच बड़ी सूक्ष्म विभाजक रेखा होती है। कभी-कभी बोलियों ने इन सीमाओं के प्रतिबंधित दायरे का अतिक्रमण करते हुए भाषा के रूप में अपने को स्थिर किया है तो कभी-कभी भाषाओं ने अपने को समेटते हुए बोलियों का स्वरूप धारण किया है। यहाँ यह बताने की जरूरत नहीं है कि व्यवहार के दायरे के अलावा भाषा, विभाषा और बोली में कोई अन्य स्थूल विभाजक रेखा नहीं होती और संभवतः यही कारण है कि सर्वेक्षण कार्य करने वाले भाषाविदों को इनमें अंतर कर पाने में सर्वथा

कठिनाई हुई है। भारत के महत्वपूर्ण भाषा सर्वेक्षक जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन का मानना था कि "सर्वेक्षण का कार्य करते समय यह निश्चित करने में कठिनाई पड़ी कि वास्तव में एक कथित भाषा स्वतंत्र भाषा है, अथवा अन्य किसी भाषा की बोली है। इस संबंध में इस प्रकार का निर्णय देना जिसे सब लोग स्वीकार कर लेंगे, कठिन है। भाषा और बोली में प्रायः वही संबंध है जो पहाड़ तथा पहाड़ी में है। यह निःसंकोच रूप से कहा जा सकता है कि एवरेस्ट पहाड़ है और हालबर्न एक पहाड़ी, किंतु इन दोनों के बीच विभाजक रेखा को निश्चित रूप से बताना कठिन है।... सच तो यह है कि दो बोलियों अथवा भाषाओं में भेदीकरण केवल पारस्परिक वार्ता संबंध पर निर्भर नहीं करता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस संबंध में विचार करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी दृष्टि में रखना आवश्यक है।" राष्ट्र के स्तर पर भाषा, विभाषा और बोली सभी का समान महत्व और सम्मान है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों में भेद निश्चित न किए जा सकने के कारण उनकी ठीक-ठीक संख्या का अनुमान कर पाना एक कठिन काम है। भाषा और बोली के बीच अंतर का यदि ध्यान न दिया जाय तो भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या सत्रह सौ के आसपास अनुमानित की जाती है। भारत में व्यवहृत इन भाषाओं की व्युत्पत्ति अलग-अलग समय में अनेक भाषा समूहों से हुई है। विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं के पारिवारिक विभाजन के आधार पर यह देखा जाता है कि भारत में विश्व की कुल पाँच प्रमुख भाषा परिवारों यथा भारतीय आर्य, द्रविड़, आग्नेय, तिब्बती-बर्मन और अंडमानी की भाषाएं बोली जाती हैं।

इन भाषा परिवारों में भारतीय आर्यभाषा परिवार बोलने वालों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा भाषा परिवार है। 'भारत में इस परिवार की लगभग 21 प्रमुख भाषाएं- असमी, उड़िया, उर्दू, कश्मीरी, कोंकणी, खानदेशी, गुजराती, डोंगरी, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, विष्णुपुरिया, भीली, मराठी, मैथिली, लहंदा, संस्कृत, सिंधी, शिना, हलाबी और हिंदी बोली जाती हैं, जिनके बोलने वालों की संख्या का पूरी आबादी में 76.86 प्रतिशत है। इन भाषाओं में पंद्रह भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में भी सम्मिलित हैं।' इस समूह की कुछ भाषाएँ पूर्वोत्तर भारत में भी बोली जाती हैं। जिसमें असमी, बंगाली, विष्णुपुरिया, हिंदी और नेपाली उल्लेखनीय हैं।

भारत में बोले जाने वाले भाषा परिवारों में दूसरा प्रमुख भाषा परिवार द्रविड़ है। इस भाषा परिवार के बोलने वालों की संख्या भारत की आबादी में 20.82 प्रतिशत है। इस परिवार से संबन्धित भारत में कुल सत्रह भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु संविधान की आठवीं अनुसूची में भी सम्मिलित हैं। इस समूह की कोई भी भाषा पूर्वोत्तर भारत में नहीं बोली जाती। आग्नेय परिवार भारत में बोलने वालों की संख्या के आधार पर तीसरे स्थान पर है। इसके भारत में बोलने वालों की संख्या 1.11 प्रतिशत है। इस परिवार की भाषा के मुख्यतः दो समूह भारत में प्रचलित हैं, वे ख्मेर निकोबारी और मुण्डा हैं। ख्मेर निकोबारी में मॉन-ख्मेर और निकोबारी दो समूह हैं। मॉन-ख्मेर समूह की एकमात्र भाषा- खासी पूर्वोत्तर भारत के मेघालय की प्रमुख भाषा है तो निकोबार अंडमान में प्रचलित है। मुंडा समूह की बारह भाषाएं भारत में प्रचलित हैं जिसमें संथाली को 2003 से संविधान के 92वें संशोधन के माध्यम से आठवीं

अनुसूची में स्थान प्राप्त है। तिब्बती-बर्मन परिवार के भाषाओं के बोलने वालों की संख्या भारत में अत्यल्प है जो कुल आबादी का लगभग एक प्रतिशत है। बोलने वालों की संख्या इस समूह की भले ही कम हो किंतु विविधता की दृष्टि से यह बहुत ही संपन्न समूह है। इसकी भाषाओं की संख्या 66 के आसपास है। इस समूह की तीन मुख्य शाखाएँ तिब्बती हिमालयन, उत्तरी असम और असमी बर्मन है। भारत में बोली जाने वाली तिब्बती बर्मन समूह की सभी भाषाएँ पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती हैं। इस समूह की दो भाषाएँ मणिपुरी और बोडो संविधान की आठवीं अनुसूची में भी शामिल हैं। भारत में बोले जाने वाले भाषा परिवारों में अंडमानी परिवार की भाषाएँ भी बोली जाती हैं। इस भाषा परिवार की भाषाओं के अनेक रूप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित हैं। इसके अलावा भारत में थाई समूह की भी एक भाषा खाम्पती बोली जाती है जो अरुणाचल के एक विशिष्ट समूह द्वारा बोली जाती है। भारत की यह भाषाई बहुलता जनजातीय समूहों में भी पायी जाती है। इन जनजातीय समूहों में प्रायः अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। 'भारत में जनजातीय समूहों की संख्या 705 बताई जाती है।' प्रायः प्रत्येक जनजाति अपने रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज की विशिष्टता के साथ-साथ भाषाई वैशिष्ट्य को लिए हुए है। बोलने वालों की संख्या के आधार पर ये चाहे छोटी या बड़ी कह दी जायं, उन्हें जनगणना में सम्मिलित न किया जाय, किंतु महत्व की दृष्टि से सभी समान हैं।

भारत में निवास करने वाले जनजातीय समूहों में पूर्वोत्तर भारत में जनजातियों की बहुलता पायी जाती है और इसीलिए भाषा में भी इस बहुलता के दर्शन होते हैं। पूर्वोत्तर भारत में भारत के आठ राज्यों को सम्मिलित किया जाता है। ये राज्य असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम हैं। जिन्हें पारिवारिक रूप से सात बहनें और सिक्किम को भाई के रूप में गिना जाता है। लेकिन केवल इन राज्यों मात्र से पूर्वोत्तर नहीं बनता। सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से देखा जाय तो इसमें उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और कूचबिहार को सम्मिलित किया जाना श्रेयशकर है। इस प्रकार सीमांकित पूर्वोत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाओं पर ध्यान दिया जाय तो यहाँ मूल रूप से मुख्यतः आग्नेय और तिब्बती बर्मन परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें भी मेघालय की खासी मात्र पूर्वोत्तर भारत में आग्नेय परिवार की भाषा है। अरुणाचल की खाम्पती थाई भाषा परिवार से संबंध रखती है। इसके अलावा अधिकांश भाषाएं तिब्बती बर्मन परिवार की भाषाएँ हैं। पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय समूहों की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये भारतीयता के साथ-साथ अपनी मौलिकता के प्रति विशेष सजग दिखाई देते हैं। भारत के अन्य क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों पर भाषाई बहुलता के दबाव (सामाजिक और सांस्कृतिक) अधिक हैं, कारण यह है कि उन क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर वे समूह अल्पसंख्यक हैं और रोजी-रोजगार के कारण दूसरी भाषा का दबाव उन पर अधिक है। किंतु पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों के साथ ऐसा नहीं है यहाँ के राज्यों में निवास करने वाले इन जनजातीय समूहों की आबादी बहुसंख्यक है। इसलिए इन समूहों पर रोजी-रोजगार संबंधी वैसे दबाव नहीं हैं जैसे देश के अन्य क्षेत्रों में हैं। यहाँ बहुभाषिकता का कारण आपसी सम्पर्क और राष्ट्र के साथ सम्मानजनक संबंध स्थापन है। यहाँ भाषाई बहुभाषिकता का दबाव न होते हुए भी भारत की दूसरी भाषाओं के साथ इनके संपर्क आदर्श स्थिति में हैं। इसे और स्पष्ट करने के लिए पूर्वोत्तर में प्रचलित भाषाओं की राज्यवार स्थिति के

आंकड़ों को देखा जा सकता है। जनसंख्या की दृष्टि से असम पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर असम भारत का पंद्रहवाँ राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्काटलैंड के बराबर है। सन 2001 ई. की जनगणना के अनुसार यहाँ 48.8 प्रतिशत असमिया तो 27.5 प्रतिशत बंगला भाषी निवास करते हैं। शेष 5.88 प्रतिशत हिंदी, 4.8 प्रतिशत बोडो, 2.12 प्रतिशत नेपाली के साथ 11.8 प्रतिशत अन्य भाषा भाषियों का हिस्सा इस राज्य में निवास करता है। जनसंख्या के आधार पर पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है तो भारतीय स्तर पर 22वाँ राज्य है। इस राज्य में त्रिपुरी बोलने वालों की संख्या 25.46 प्रतिशत है तो बंगला भाषियों का अनुपात 67.14 प्रतिशत है। यहाँ हिंदी भाषियों की संख्या 1.68 प्रतिशत तो कूकी भाषा-भाषियों की संख्या 1.2 प्रतिशत के बराबर है। जनसंख्या के आधार पर मेघालय पूर्वोत्तर के राज्यों में तीसरे स्थान पर और भारत का 23वाँ राज्य है। इस राज्य की मुख्य भाषा खासी, गारो और जयंतिया है जो यहाँ की पहाड़ियों और जनजातीय समूहों के भी नाम भी हैं। मेघालय में बोलने वालों की संख्या के आधार पर देखें तो खासी 33.82 प्रतिशत, गारो 31.6 प्रतिशत, पनार 10.69 प्रतिशत, बंगाली 6.44 प्रतिशत, नेपाली 1.85 प्रतिशत, वार 1.73 प्रतिशत, हिंदी 1.62 प्रतिशत, हाजोंग 1.4 प्रतिशत, असमी 1.34 प्रतिशत और अन्य 9.51 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार जनसंख्या के आधार पर पूर्वोत्तर का चौथा राज्य मणिपुर है जो इसी आधार पर भारत का 24वाँ राज्य है। इस राज्य में गैर जनजातीय भाषा का दबाव बहुत कम है। मैतेई यहाँ की प्रमुख भाषा है जिसके बोलने वालों की संख्या यहाँ की आबादी में 53 प्रतिशत है। इस राज्य में बंगला और हिंदी भाषियों का अनुपात 1.25 और 1.14 प्रतिशत है। नागालैंड जनसंख्या के आधार पर पूर्वोत्तर का पाचवाँ और भारत का पच्चीसवाँ राज्य है। इस राज्य में भी गैर जनजातीय भाषाओं का दबाव अत्यल्प है। यहाँ कोनयाक, लोथा, अंगामी, आओ, चोकरी, चांग आदि भाषा-भाषियों का अनुपात गैर जनजातीय भाषा-भाषियों से अधिक है। बंगला भाषी 3.77 तो हिंदी भाषी 3.13 प्रतिशत हैं। अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या के आधार पर पूर्वोत्तर का छठवाँ तो भारत का सत्ताइसवाँ राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर यह राज्य पूर्वोत्तर का पहला तो भारत का पंद्रहवाँ राज्य है। भाषाई रूप से भी यह राज्य पूर्वोत्तर का अत्यंत उर्वर राज्य है। यहाँ पचास के आसपास प्रमुख जनजातियाँ और उनकी भाषाएं विद्यमान हैं। इस राज्य को भाषाई बहुलता में एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त है। इस राज्य में निशी, आदी, मोनपा, वांगचू, तांगसा, मिशमी, मिसिंग, नोक्ते के साथ-साथ असमी, बंगला, नेपाली और हिंदी भाषियों की भी अच्छी संख्या विद्यमान है। जनसंख्या के आधार पर भारत का अठ्ठाइसवाँ और पूर्वोत्तर का सातवाँ राज्य मिजोरम भी जनजातीय समूहों और जनजातीय भाषाओं की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है। गैर जनजातीय भाषा-भाषियों की संख्या यहाँ अत्यल्प या नहीं के बराबर है। इस राज्य में मिजो भाषी समुदाय प्रांत का सत्तर प्रतिशत से अधिक है। शेष समुदायों द्वारा प्रमुख रूप से चकमा, मारा, ताई, कूकी, त्रिपुरी, हमार, पाइते आदि जनजातीय भाषाएं बोली जाती हैं। जनसंख्या के आधार पर सिक्किम भारत और पूर्वोत्तर का सबसे छोटा राज्य है। इस राज्य में भारतीय आर्य, आग्नेय, तिब्बती बर्मन, तीनों भाषा-परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ नेपाली 62.6 प्रतिशत, भूटिया 7.6 प्रतिशत, हिंदी 6.6 प्रतिशत, लेपचा 6.5 प्रतिशत, लिंबू 6.3 प्रतिशत, शेरपा 2.4 प्रतिशत, तमांग 1.8 प्रतिशत तथा 6.2 प्रतिशत अन्य भाषा-भाषी रहते हैं। पूर्वोत्तर भारत के भाषाई परिदृश्य को देखने से जो मूल

बातें निकलकर सामने आती हैं वे इस प्रकार हैं-

1. भारत में भाषाई वैविध्य की दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत सर्वाधिक संपन्न है।
2. पूर्वोत्तर की यह भाषाई बहुलता उसे वैश्विक स्तर पर अप्रतिम बनाती है।
3. भाषाई वैविध्य के बावजूद सामाजिक, सांस्कृतिक सौहार्द में कोई समस्या नहीं है।
4. भाषाई वैविध्य के बावजूद बहुभाषिकता का दबाव मैदानी क्षेत्रों जैसा नहीं है, जहाँ छोटी भाषाएं अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं।

उपरोक्त तथ्यों को लेकर जब विचार करते हैं तो यह बात विचारणीय है कि राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर इनके अंतर्संबंध का स्वरूप क्या है? इस ओर जब ध्यान देते हैं तो 'राष्ट्रभाषा हिंदी और जनदीय बोलियाँ' शीर्षक लेख में प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय जी का वक्तव्य महत्वपूर्ण हो जाता है कि "वस्तुतः भाषाओं की एकता का आधार केवल व्याकरण नहीं है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवं राजनैतिक कारणों से भी भाषाई एकता होती है। ये ही कारण बिखराव के लिए भी उत्तरदायी हैं।" प्रांतों की सीमाएं राजनीतिक होती हैं। राजनैतिक सीमाओं के आर-पार रहने वाले लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों में कोई अलगाव नहीं होता। हम सभी अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ राष्ट्रीय चरित्र सहधर्मिता और सहजीविता के कारण विविधता में एकता को स्थापित करते हैं। मूल रूप से हम चाहे जिस जातीय समूह से संबंध रखते हों किंतु भारत की आबोहवा में विकसित होने के कारण भारतीय है।

पूर्वोत्तर के समुदायों में रहन-सहन, रीति- रिवाज, भाषा-बोली में वैविध्य होने के बावजूद भारतीयता के सूत्र उसी प्रकार देखे जा सकते हैं। आज पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भाषाओं के साथ राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक बोली समझी जाने वाली संपर्क-भाषा हिंदी का संबंध उसी प्रकार है। अधिकांश भाषाओं में हिंदी के शब्द और हिंदी में इनके शब्दों का प्रवेश हो रहा है। एक प्रकार से कहा जाय तो

भाषा की नई शैलियों का विकास हो रहा है। भाषा में सतत विकास की प्रक्रिया चलती रहती है।

इसीलिए प्रत्येक युग में व्यवहार की भाषा मानक भाषा से थोड़ा बहुत विचलन लिए हुए होती है। पूर्वोत्तर की भाषाओं में भी सहजीविता और सहधर्मिता के कारण ही हिंदी शब्दों का प्रवेश दिखाई देता है। 2011 की जनगणना में हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषाओं की संख्या 49 गिनाई गई है। जिसे ध्यान में रखते हुए उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि एक दिन ऐसा आयेगा जब हिंदी की 200 भाषाएं होंगी और यह केवल भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की मूल प्रवृत्ति है। 'सब पलें- सब बढें' की भावना के साथ सबका समान सम्मान और अधिकार भारतीय बहुलतावादी संस्कृति का मूल आधार है।

संपर्क :- आचार्य, हिंदी विभाग
पूर्वोत्तर पर्वतीय, विश्वविद्यालय, शिलांग, मेघालय